UPBB010074072025

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–02, बाराबंकी।
उपस्थित–असद अहमद हाशमी, एच०जे०एस० (JO Code UP–6327)
फौजदारी पुनरीक्षण सं०–219/2025

कमलेश कुमार उम्र 50 वर्ष पुत्र बदलूराम, निवासी ग्राम बन्नी रोशनपुर, थाना फतेहपुर, जिला बाराबंकी।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. सरकार उ०प्र०,
2. रामसरन उम्र लगभग 55 वर्ष रघुवीर,
3. श्रीमती मायावती उम्र लगभग 52 वर्ष पत्नी रामसरन,
4. पवन कुमार उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र राम कुमार,
5. श्रीमती रीता देवी उम्र लगभग 32 वर्ष पत्नी पवन कुमार,

समस्त निवासीगण ग्राम बन्नी रोशनपुर, थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी

.....विपक्षीगण।

अं०धारा–438/440 बी०एन०एस०एस०,
थाना–फतेहपुर, जिला बाराबंकी।

निर्णय

1. यह निगरानी, निगरानीकर्ता कमलेश कुमार की ओर से धारा–438/440 बी०एन०एस०एस०, के अन्तर्गत विपक्षीगण सरकार उ०प्र० आदि के विरूद्ध न्यायालय उपजिलाधिकारी तहसील फतेहपुर, बाराबंकी द्वारा वाद सं०–256/2018, सरकार बनाम कमलेश कुमार आदि, अं०धारा–133 जा०फौ०, तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी, के मामले में पारित आदेश दिनांकित 25.11.2023 के माध्यम से निगरानीकर्ता/वादी के वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

2. आधार निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध है। निगरानीकर्ता एवं सुमित्रा देवी ने प्रताड़ित होने के कारण प्रश्नगत धारा 133 जा०फौ० की कार्यवाही हेतु आम रास्ते पर विपक्षीजन द्वारा किये जा रहे अवरोध के हटाने हेतु शपथपत्र एवं पुलिस आख्या से सन्तुष्ट होकर अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही संस्थित की थी, किन्तु धारा 137 व 138 जा०फौ० का विधिवत् अनुपालन किये बिना प्रश्नगत आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है और निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र सुमित्रा देवी के प्रार्थना पत्र पर प्रश्नगत आदेश में धारा 133 जा०फौ० की कार्यवाही समाप्त कर दी, जबकि निगरानीकर्ता मुकदमें का पक्षकार है और उसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एकपक्षीय उसके विरूद्ध आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। प्रारम्भिक आदेश अं०धारा 133 जा०फौ० के पारित होने के उपरान्त विपक्षीजन द्वारा आम रास्ता होने से इन्कार करने पर

Digitally signed by ASAD A HASHMI
Date: 2026.07.06 10:08:54 IST
Reason: Judgment
Location: Addl. Session Judge, Court No.-02. Barabanki.

धारा 137 जा0 फौ० के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिनायल के बिन्दु पर कोई प्रश्न विपक्षीजन से किये बिना और विपक्षीजन द्वारा कोई साक्ष्य न दिये जाने की स्थिति में न्यायालय को धारा 138 जा०फौ० के अन्त्रतगत कार्यवाही हेतु निगरानीकर्ता को साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिये था, किन्तु ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अनुरोध किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर उसका अवलोकन कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिनांकित 25.11.2023 निरस्त कर पुनः वाद लेने साक्ष्य विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित करने की आज्ञा प्रदान करें।

3. निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी के समर्थन में छायाप्रति नकल आदेश दिनांकित 25.11.2023, दस्तावेजी सूची अ–8/1 से फोटोकापी वाद का सारांश तथा विधि व्यवस्था–**Sita Ram Mishra Vs. State of U.P. and others, Allahabad High Court, [2010 (69) ACC 725]** तथा **2025 (132) ACC 17 Allahabad High Court (Lko Bench) Abhimannu Prasad Ojha & others Vs State of U.P. & others** दाखिल किया गया है।

4. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व आलोच्य आदेश दिनांकित 25.11.2023 का परिशीलन किया।

5. विपक्षीगण की ओर से बहस के दौरान दस्वतेजी सूची से एक अदद नक्शा CH45 गाटा सं० 280 कमलेश कुमार व एक अदद खतौनी गाटा सं० 219 स्थित ग्राम बन्नी रोशनपुर, तहसील फतेहुपुर, बाराबंकी दाखिल की गयी है।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा तर्क दिया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद सं०–256/2018, सरकार बनाम कमलेश कुमार आदि, अं०धारा–133 जा०फौ०, तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी, की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन कर विधि सम्मत प्रश्नगत आदेश दिनांकित 25.11.2023 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। निगरानीकर्तागण की रिवीजन निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

निष्कर्ष

7. **चन्द्रबाबू बनाम स्टेट (2015) 8 एस.सी.सी. 774** एवं **श्रीमती सावित्री देवी बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 2014 (84) ए.सी.सी. 81** इलाहाबाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया है कि तथ्यों के आधार पर अवर न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष तभी परिवर्तित किये जा सकते है जब वे परवर्स (Perverse) अर्थात विद्यमान तथ्यों के विरूद्ध हो।

8. **अमित कपूर बनाम रमेश चन्द्र तथा अन्य 2012 (3) जे०आई०सी० पृष्ठ 772 (सुप्रीम कोर्ट)** के मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था दी है कि :– पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक अर्थात Routine तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहाँ पर :–

a. जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है, वह बिल्कुल गलत है,

b. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्राविधानों का पालन नही किया गया है,

c. बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिये गये हैं,

d. तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा

e. न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्को के विरूद्ध किया

प्रार्थना पत्र देने का कोई विधिक हक हासिल नहीं है।

9. इस स्तर पर निगरानी न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 25.11.2023 विधिसम्मत वैध व औचित्यपूर्ण है तथा की गयी कार्यवाही नियमित है।

10. पत्रावली पर उपलब्ध विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांकित– 25.11.2023 का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य रूप से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 25.11.2023 में प्रकरण के दीर्घकालिक होने तथा प्रथम पक्ष के प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही समाप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र को संज्ञान में लेकर अन्य किसी परीक्षण का औचित्य न पाते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी है।

11. निगरानीकर्ता द्वारा मुख्य रूप में निगरानी में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा उसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश उसके विरूद्ध पारित कर दिया गया, जो विधिक रूप से मान्य नहीं है।

12. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 25.11.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित किया गया है कि ''प्रकरण के दीर्घकालिक होने तथा प्रथम पक्ष के प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही समाप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र को संज्ञान में लेकर अन्य किसी परीक्षण का औचित्य न पाते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी है।''

13. आलोच्य आदेश के परिपेक्ष में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से सुमित्रा उर्फ सावित्री देवी के द्वारा निगरानीकर्ता को लेकर धारा–133 द०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही योजित की गयी थी। कार्यवाही के दौरान सुमित्रा उर्फ सावित्री देवी पत्नी पुत्तीलाल, पुत्तीलाल पुत्र द्वारिका तथा मनोज कुमार पुत्र पुत्तीलाल की ओर से एक प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र दिनांकित 03.08.2022 संयुक्त रूप से दिया गया था, जिसके प्रस्तर–1 में यह तथ्य अंकित है कि ''शपथकर्तागण वादी कमलेश कुमार पुत्र बदलूराम निवासी बन्नी रोशनपुर के बहकावे में आकर उपरोक्त मुकदमा रास्ते को लेकर दायर कराया था, जो गलत है।''

14. प्रस्तर–2 में यह तथ्य अंकित है कि ''जिस रास्ते को लेकर धारा 133 द०प्र०सं० की कार्यवाही न्यायालय में चल रही है, वह सार्वजनिक मार्ग नहीं है, मात्र रामसरन पुत्र रघुवीरसरन का

निजी रास्ता है। घर परिवार व पड़ोसी होने के नाते हम निकल जाते थे। उक्त प्रश्नगत रास्ता कभी आम रास्ता नही रहा है।''

15. प्रस्तर–4 में यह तथ्य अंकित है कि ''शपथकर्तागण का पुश्तैनी रास्ता पवन के मकान के पीछे जानिब दक्षिण से था, जिस पर आज भी हम लोग निकलते है, रास्ते का विवाद नहीं है।''

16. प्रस्तर–5 में यह तथ्य अंकित है कि ''कमलेश कुमार वादी, रामसरन आदि से कोई अपनी निजी रंजिश के कारण रास्ते को लेकर, आम रास्ता बताकर मुकदमा दायर किया है, जिस पर रामसरन जानवर बांधते है, उनकी पुश्तैनी जमीन है।''

17. प्रस्तर–6 में यह तथ्य अंकित है कि ''प्रश्नगत कथित रास्ते पर कभी भी ट्रैक्टर ट्राली व अन्य कृषि यन्त्र व अन्य किसी वाहन का आवागमन नहीं हुआ है।''

18. प्रस्तर–7 में यह तथ्य अंकित है कि ''प्रश्नगत रास्ते को हम नहीं चाहते है, क्योंकि आम रास्ता नहीं रहा है, न ही हम उक्त के बावत मुकदमा ही लड़ना चाहते है। शपथकर्तागण अपनी स्वेच्छा से शपथ पत्र दाखिल कर रहे है। वाद को निरस्त कर दिया जाये। उक्त प्रश्नगत कथित रास्ते से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है।''

19. उपरोक्त वर्णित शपथ पत्र पर सुमित्रा उर्फ सावित्री देवी, पुत्तीलाल तथा मनोज कुमार के फोटोग्राफ सहित हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा विद्यमान है तथा नोटरी द्वारा प्रमाणित है, जिसे संज्ञान में लेकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, वह विधिसम्मत है।

20. उक्त के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रतिलिपि एन०सी०आर० सं० 24/2017 के अवलोकन से विदित है कि सुमित्रा उर्फ सावित्री के द्वारा उक्त एन०सी०आर० विपक्षीगण रामसरन, मायावती, पवन कुमार व रीता देवी को अभियुक्त के रूप में नामित करते हुए अं०धारा–323, 504 भा०द०सं० दर्ज करायी थी, जिसके परिपेक्ष में निगरानी न्यायालय में दाखिल प्रतिलिपि बयान पी०डब्लू०–1 सुमित्रा की जिरह में यह तथ्य अंकित है कि "घटना के समय काफी भीड़ भाड़ थी, आपस में धक्का मुक्की होने लगी, जिससे मुझे चोट आ गयी। लोगो के बताने के अनुसार एवं शक के आधार पर अभियुक्तगण का नाम दरोगा जी को बता दिया था। अभियुक्तगण रामसरन गौतम, मायादेवी, पवन कुमार व रीता देवी ने मुझे लाठी डण्डा से मारकर चोटे नहीं पहुँचायी थी और न ही गन्दी–गन्दी गालियां दी थी। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सुमित्रा देवी व विपक्षीगण के मध्य सुलह हो जाने के उपरान्त उसके द्वारा वाद वापसी का प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था, जिसे संज्ञान में लेकर आदेश पारित किया गया है।

21. जैसाकि सुमित्रा देवी उर्फ सावित्री धारा–133 द०प्र०सं० के वाद में मुख्य आवेदिका (Deminus Litis –Master of suit) थी और मात्र उसी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र दिया गया था, ऐसी दशा में कथित वाद को वापस लेने का अधिकार उसी के पास सुरक्षित था, जिसके अनुसरण में उसके द्वारा वाद वापस ले लिया गया। यदि निगरानीकर्ता कथित वाद वापसी से क्षुब्ध था, तो उसे पृथक से वाद दायर करने का अधिकार प्राप्त था।

22. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दाखिल प्रार्थना पत्र अं०धारा–133 द०प्र०सं० के साथ संलग्न मानचित्र व पुलिस द्वारा प्रस्तुत आख्या में बनाये गये मानचित्र के अवलोकन से विदित है कि

निगरानीकर्ता कमलेश के मकान/सहन के पूरब पोख्ता बाउन्ड्रीवाल बनी है तथा कथित रास्ता वही पर बन्द है, जिससे यह स्पष्ट है कि वह रास्ता सार्वजनिक रास्ता न होकर वहाँ पर रहने वाले मुख्य रूप से रामसरन आदि के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोड़ी की भूमि है, जिसे वहाँ रहने वाले सभी लोग सुविधानुसार उपयोग में लाते है। यदि उक्त रास्ता सार्वजनिक होता, तो वह निगरानीकर्ता कमलेश के घर के पास बन्द न होता।

23. यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता कमलेश के द्वारा कथित रास्ते के दोनो ओर मकान बनाकर रहने वाले ओरीलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि कथित दीवार ओरीलाल के घर के सामने ही बनना बताया गया है, जिससे भी निगरानीकर्ता की दूषित मानसिकता परिलक्षित होती है।

24. जहाँ तक निगरानीकर्ता के द्वारा दाखिल विधि व्यवस्थाओ का प्रश्न है, उक्त में प्रतिपादित सिद्धान्त सार्वजनिक मार्ग के परिपेक्ष में की गयी कार्यवाहियो पर लागू होती है, परन्तु जैसाकि मुख्य आवेदिका सुमित्रा उर्फ सावित्री अं०धारा 133 द०प्र०सं० के द्वारा अपना वाद वापस ले लिया गया है तथा शपथ पत्र के माध्यम से यह स्वीकार किया गया है कि कथित विवादित रास्ता सार्वजनिक न होकर रामसरन की व्यक्तिगत सम्पत्ति है, जिसमें उसका नांद व खूंटा आदि विद्यमान है, जिसमें से वहाँ रहने वाले सभी लोग भी सुविधानुसार आते जाते है। फलस्वरूप उक्त विधि व्यवस्थाओ का लाभ निगरानीकर्ता को नहीं मिल सकता।

25. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियों एवं विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धांतो के दृष्टिगत निगरानीकर्ता के निगरानी में कोई बल नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

26. यह फौजदारी पुनरीक्षण सं०–219/2025, कमलेश कुमार बनाम सरकार आदि खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित–25.11.2023 पुष्ट किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(असद अहमद हाशमी)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०–02, बाराबंकी।
JO Code UP6327

दिनांक– 25.06.2026

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर सुनाया गया।

(असद अहमद हाशमी)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०–02, बाराबंकी।
JO Code UP6327

दिनांक–25.06.2026